(100)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रंमाक /2018

प्रस्तुत दि. 11.04.18

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/2302

प्रबंधक, डी.पी. वायर्स प्रा.लि.
16–18 ए औघोगिक क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) ....पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता

वि रू द्ध

......प्रत्यर्थी

मध्यप्रदेश शासन

//पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता//

श्री राकेश बाफना अभि. को द्वारा आज दि. 11.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-5-18 नियत।
11.4.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रतलाम जिला रतलाम के समक्ष–रश्मि श्रीवास्तव मेडम द्वारा प्रकरण क्रंमाक 18/अ–76/2017–18 म.प्र.शासन विरूद्ध डी.पी.वायर्स प्रा.लि. रतलाम के विरूद्ध की जा रही वसुली कार्यवाही मे की जा रही गंभीर अनियमितता, दुषित प्रक्रिया तथा कार्यवाही की अवैधानिकता ओर औचित्य के संबध मे पुनरीक्षण हेतु सदर याचिका आदेश दिनांक 08.03.2018 एनेक्सर ए–1 एवं सम्पुर्ण प्रक्रिया के संबध मे असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत।

मान्यवर महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रत्यर्थी के विरूद्ध निम्मानुसार पुनरीक्षण पेश कर निवेदन है कि:–

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

01– यह है कि सदर याचिका सद्भावना पुर्वक प्रस्तुत की जा रही है, उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता चालु उघोग है, ओर वर्तमान मे याचिकाकर्ता संस्थान मे करीब 100 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी कुशल अकुशल ओर केजुअल (ठैकेदारी) कार्य करते है, तथा उघोग मे अवैध–अनुचित तरीके से हड़ताल किये जाने पर तथा म.प्र.शासन के श्रम विभाग द्वारा हड़ताल को अवैध–अनुचित घोषित कर दिया था ओर श्रमिक काम पर उपस्थित नही होने पर विधिवत उन्हे सम्पुर्ण बकाया एकमुश्त अदा कर कार्यमुक्त किया गया है,

XXIX(a)-BR(H)-11

(12)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/2302

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपंस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	